



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, FAX:2227602, Toll Free Helpline-9928900900)

E-mail: rj-slsa@nic.in, website: www.rlsa.gov.in

क्रमांक F30/रालसा/नालसास्कीम/Child Friendly Scheme 361

दिनांक : 29.6.2019

कार्यालय आदेश

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 के अन्तर्गत सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के लिए निम्नानुसार सम्प्रेषण एवं किशोर गृह समिति का पुर्नगठन आगामी आदेश तक किया जाता है:-

01. अजमेर

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अजमेर	अध्यक्ष
श्री एस.के. गोयल (आर/43/1995)	सदस्य
जिले में पदस्थापित परिवीक्षा अधिकारी	सदस्य

02. अलवर

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलवर	अध्यक्ष
श्री चन्द्र शेखर शर्मा (आर/1347/2003)	सदस्य
जिले में पदस्थापित परिवीक्षा अधिकारी	सदस्य

03. बालोतरा

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोतरा	अध्यक्ष
श्री श्रवण कुमार चौधरी (आर/522/1993)	सदस्य
जिले में पदस्थापित परिवीक्षा अधिकारी	सदस्य

04. बांरा

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांरा	अध्यक्ष
श्री कमलेश दुबे (आर/294/1987)	सदस्य
जिले में पदस्थापित परिवीक्षा अधिकारी	सदस्य

05. बांसवाड़ा

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांसवाड़ा	अध्यक्ष
श्री उमेश दोसी (आर/366/2002)	सदस्य
जिले में पदस्थापित परिवीक्षा अधिकारी	सदस्य

06. भरतपुर

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भरतपुर	अध्यक्ष
श्री रिपुदमन सिंह (आर/711/2001)	सदस्य
जिले में पदस्थापित परिवीक्षा अधिकारी	सदस्य

28

07. भीलवाड़ा

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भीलवाड़ा
श्री राकेश त्रिपाठी (आर/1278/1995)
जिले में पदस्थापित परिवीक्षा अधिकारी

अध्यक्ष
सदस्य
सदस्य

08. बीकानेर

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बीकानेर
श्री मनोज कुमार जनागल (आर/2294/2004)
जिले में पदस्थापित परिवीक्षा अधिकारी

अध्यक्ष
सदस्य
सदस्य

09. बूंदी

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बूंदी
श्री शिफा-उल-हक (आर/75/1994)
जिले में पदस्थापित परिवीक्षा अधिकारी

अध्यक्ष
सदस्य
सदस्य

10. चूरु

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चूरु
श्री संजीव कुमार वर्मा (आर/121/1995)
जिले में पदस्थापित परिवीक्षा अधिकारी

अध्यक्ष
सदस्य
सदस्य

11. चित्तौड़गढ़

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चित्तौड़गढ़
श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ (1068/2003)
जिले में पदस्थापित परिवीक्षा अधिकारी

अध्यक्ष
सदस्य
सदस्य

12. दौसा

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दौसा
श्री दिनेश शर्मा (आर/342/1997)
जिले में पदस्थापित परिवीक्षा अधिकारी

अध्यक्ष
सदस्य
सदस्य

13. धौलपुर

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धौलपुर
श्री सर्वेश मिश्रा (आर/943/1996)
जिले में पदस्थापित परिवीक्षा अधिकारी

अध्यक्ष
सदस्य
सदस्य

14. डूंगरपुर

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर
श्री पुष्कर चौबीसा (आर/1388/2004)
जिले में पदस्थापित परिवीक्षा अधिकारी

अध्यक्ष
सदस्य
सदस्य

15. गंगानगर

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गंगानगर
श्री सतपाल सिंह (आर/985/1998)
जिले में पदस्थापित परिवीक्षा अधिकारी

अध्यक्ष
सदस्य
सदस्य

16. हनुमानगढ़

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हनुमानगढ़
श्री अमित मदान (आर/868/1998)
जिले में पदस्थापित परिवीक्षा अधिकारी

अध्यक्ष
सदस्य
सदस्य


22

17. जयपुर महानगर		
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर	अध्यक्ष	
श्री प्रतिष्ठा संगर (आर/1821/1999)	सदस्य	
जिले में पदस्थापित परिवीक्षा अधिकारी	सदस्य	
18. जयपुर जिला		
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर जिला	अध्यक्ष	
प्रभा अग्रवाल (आर/58/1994)	सदस्य	
जिले में पदस्थापित परिवीक्षा अधिकारी	सदस्य	
19. जैसलमेर		
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसलमेर	अध्यक्ष	
श्री गिरिराज पुरोहित (आर/1174/2002)	सदस्य	
जिले में पदस्थापित परिवीक्षा अधिकारी	सदस्य	
20. जालौर		
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जालौर	अध्यक्ष	
श्री जगदीश गोदारा (आर/1077/2002)	सदस्य	
जिले में पदस्थापित परिवीक्षा अधिकारी	सदस्य	
21. झालावाड़		
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झालावाड़	अध्यक्ष	
श्री रमेशचन्द्र कश्यप (आर/347/1993)	सदस्य	
जिले में पदस्थापित परिवीक्षा अधिकारी	सदस्य	
22. झुंझुनू		
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झुंझुनू	अध्यक्ष	
श्री बाबूलाल सैनी (आर/448/2000)	सदस्य	
जिले में पदस्थापित परिवीक्षा अधिकारी	सदस्य	
23. जोधपुर महानगर		
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर महानगर	अध्यक्ष	
श्री विरेन्द्र कुम्भट (आर/581/1984)	सदस्य	
जिले में पदस्थापित परिवीक्षा अधिकारी	सदस्य	
24. जोधपुर जिला		
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर जिला	अध्यक्ष	
श्रीमती मंजू चौधरी (आर/1336/1999)	सदस्य	
जिले में पदस्थापित परिवीक्षा अधिकारी	सदस्य	
25. कोटा		
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोटा	अध्यक्ष	
श्री ब्रजेश जोशी (आर/1008/1996)	सदस्य	
जिले में पदस्थापित परिवीक्षा अधिकारी	सदस्य	
26. करौली		
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, करौली	अध्यक्ष	
श्री पीयूष कुमार शर्मा (आर/2453/2002)	सदस्य	
जिले में पदस्थापित परिवीक्षा अधिकारी	सदस्य	


 28

27. मेड़ता सिटी		
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेड़ता सिटी		अध्यक्ष
श्री ओमप्रकाश पुरोहित (आर/11/2003)		सदस्य
जिले में पदस्थापित परिवीक्षा अधिकारी		सदस्य
28. पाली		
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पाली		अध्यक्ष
श्री सुधीर कांकाणी (आर/1564/2000)		सदस्य
जिले में पदस्थापित परिवीक्षा अधिकारी		सदस्य
29. प्रतापगढ़		
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रतापगढ़		अध्यक्ष
श्री रमेश चन्द्र शर्मा (आर/571/1997)		सदस्य
जिले में पदस्थापित परिवीक्षा अधिकारी		सदस्य
30. राजसमन्द		
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमन्द		अध्यक्ष
श्री सुशील कुमार पाराशर (आर/1611/2006)		सदस्य
जिले में पदस्थापित परिवीक्षा अधिकारी		सदस्य
31. सवाई माधोपुर		
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सवाई माधोपुर		अध्यक्ष
श्री हरिमोहन जाट (आर/1752/1999)		सदस्य
जिले में पदस्थापित परिवीक्षा अधिकारी		सदस्य
32. सीकर		
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर		अध्यक्ष
श्री पुरुषोत्तम शर्मा (आर/181/1992)		सदस्य
जिले में पदस्थापित परिवीक्षा अधिकारी		सदस्य
33. सिरोही		
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिरोही		अध्यक्ष
सुश्री मीनाक्षी गौतम (आर/1726/2008)		सदस्य
जिले में पदस्थापित परिवीक्षा अधिकारी		सदस्य
34. टोंक		
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टोंक		अध्यक्ष
श्री अजय सिंह सोलंकी (आर/1954/2006)		सदस्य
जिले में पदस्थापित परिवीक्षा अधिकारी		सदस्य
35. उदयपुर		
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उदयपुर		अध्यक्ष
श्री संदीप दाधीच (आर/3111/2007)		सदस्य
जिले में पदस्थापित परिवीक्षा अधिकारी		सदस्य

22/9/12
22


यदि संबंधित जिले में एक से अधिक परिवीक्षा अधिकारी पदस्थापित हैं, तो जिला कलेक्टर द्वारा नामित परिवीक्षा अधिकारी समिति के सदस्य होंगे।

सम्प्रेषण एवं किशोर गृह समिति द्वारा निम्न कार्य सम्पादित किए जाएंगे:-

01. समिति पूरे जिले में स्थित राज्य सरकार द्वारा संचालित या पंजीकृत संप्रेषण गृह, किशोर गृह, विशेष गृह, आश्रय गृह एवं अन्य किसी भी नाम से संचालित होने वाले बालक गृहों की एक सूची तैयार करेगी एवं इसे अद्यतन रखेगी। अद्यतन सूची प्रत्येक माह राज्य प्राधिकरण को प्रेषित की जायेगी।
02. समिति जिले में स्थित उक्त सभी गृहों की माह में कम से कम एक बार विजिट करने के लिए समयावली बनायेगी। प्रत्येक माह के प्रारम्भ में समयावली में आवश्यक परिवर्तन किए जा सकेंगे। यह समयावली समिति द्वारा अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित की जाएगी।
03. समयावली के अनुरूप समिति द्वारा जिले के सभी गृहों की विजिट की जाएगी। विजिट के दौरान समिति यह देखेगी कि इन गृहों का वातावरण बाल मित्रतापूर्ण है। यदि इन गृहों की स्थिति कारागार या हवालात की तरह है तो इसका विवरण अंकित करते हुए समिति अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित करेगी।
04. गृहों की विजिट के दौरान समिति यह देखेगी कि गृहों में स्वच्छता, साफ-सफाई, कपड़े, बिस्तर, भोजन व आहार, चिकित्सा एवं मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल, स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के साथ समन्वय आदि की माकूल व्यवस्थाएं हैं। इन व्यवस्थाओं में कमी पाये जाने पर समिति इसकी रिपोर्ट अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित करेगी।
05. गृहों की विजिट के दौरान यदि समिति यह पाती है कि गृह नियमानुसार पंजीकृत नहीं है तो इसकी सूचना अर्विलब अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को दी जायेगी।
06. सम्प्रेषण एवं किशोर गृह समिति राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 के अन्तर्गत निर्दिष्ट अन्य सभी कार्य संपादित करेगी।
07. समिति राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी आदेश, परिपत्र, दिशा-निर्देशों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करेगी एवं इनके अनुरूप गृहों की स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगी।
08. समिति इसके द्वारा की गई प्रत्येक विजिट की रिपोर्ट अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित करेगी। समिति की रिपोर्ट के आधार पर अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक व समन्वय कर समितियों द्वारा बताई गई कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाएंगे। उनके द्वारा उठाये गये कदमों की मासिक रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।


28

अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समिति के कार्य सम्पादन में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों का समाधान करेंगे। आवश्यकता होने पर कठिनाइयों के बारे में राज्य प्राधिकरण को अवगत करायेंगे।



(अशोक कुमार जैन)

सदस्य सचिव

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर

क्रमांक: 16 245 A to G

दिनांक: 29-06-19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समस्त राजस्थान को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि आदेश की प्रति समिति के अध्यक्ष व सदस्यों को उपलब्ध कराये तथा पालना सुनिश्चित करावे।
02. प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
03. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
04. निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
05. अध्यक्ष, किशोर न्याय बोर्ड समिति, राजस्थान सरकार, जयपुर।
06. अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति, राजस्थान, जयपुर।
07. रक्षित पत्रावली।



उप-सचिव

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर